**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2101**

**सोमवार, 2 अगस्त, 2021 / 11 श्रावण, 1943 (शक)**

**कोशियारी समिति की सिफारिशें**

**2101. श्री रवि किशन:**
**श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:**
**श्री सुब्रत पाठक:**
**श्री चंद्र शेखर साहू:**
**श्री प्रतावराव जाधव:**
**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**
**श्री सुधीर गुप्ता:**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
**श्री रविन्दर कुशवाहा:**
**श्री बिद्युत बरन महतो:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या कोशियारी समिति ने ईपीएस-95 के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफरिश की थी;

(**ख**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई;

(**ग**) क्या जैसाकि केन्द्र सरकार के पेंशनरों को मूल्य सूचकांक स्थिर करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, इसी तर्ज पर ईपीएस-95 के पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है;

(**घ**) यदि हां, तो क्या सरकार को विचार आर्थिक रूप से वंचित ईपीएस-95 के पेंशनरों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का है; और

(**ङ**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) और (ख): कोशियारी समिति ने वर्ष 2013 में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने के साथ ही

जारी/2----

सरकार के अंशदान को मजदूरी के 1.16% से बढ़ाकर कम-से-कम 8.33% करने की सिफारिश की थी। सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो ईपीएस के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान की गई मजदूरी के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। वर्ष 2021-22 के लिए, न्यूनतम पेंशन के लिए तथा सरकार के अंशदान के रूप में मजदूरी का 1.16% के लिए 7364 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(ग): ईपीएस, 1995 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि एक स्व-वित्त-पोषित निधि है। ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) गठित की गई थी तथा समिति ने बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि पर गंभीर वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मासिक पेंशन को रहन-सहन की लागत के सूचकांक के साथ जोड़े जाने की सिफारिश नहीं की थी।

(घ) और (ङ): आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) एक पात्रता आधारित योजना है तथा लाभार्थी परिवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशिष्ट वंचन मानदण्ड और शहरी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक मानदण्ड का अनुप्रयोग करते हुए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना डेटाबेस से लिए जाते हैं।

******